सुकन्या समृद्धि योजना

सुकन्या समृद्धि योजना : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सुकन्या समृद्धि अकाउंट की घोषणा २ दिसंबर २०१४ को की थी। इसकी शुरुआत २२ जनवरी २०१५ से हुई है। यह लघु बचत योजना बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान का हिस्सा है। योजना का उद्देश्य माता-पिता को अपनी लड़की की शिक्षा के लिए पैसे बचाने के लिए प्रोत्साहित करना है।

अकाउंट कहाँ खुलेगा : सुकन्या समृद्धि अकाउंट पोस्ट ऑफिस या अधिकृत बैंकों (इनमें से कुछ – भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बडौदा, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, आंध्रा बैंक, यूको बैंक और इलाहाबाद बैंक) में खोले जा सकते हैं।

आवश्यक दस्तावेज :

१. बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र

२. अभिभावक के पते का प्रमाण पत्र और फोटो पहचान पत्र (पैन कार्ड, वोटर आईडी, आधार कार्ड)

यह अकाउंट कैसे खुलेगा?

१. **अभिभावक को खोलना होगा अकाउंट :** माता-पिता या कानूनी अभिभावक अधिकतम दो लड़कियों के लिए यह खाता खोल सकते हैं। जुड़वां या तीन बच्चियों का जन्म एक साथ होने की स्थिति में अधिकृत अस्पतालों से प्रमाण पत्र देने पर उन्हें भी योजना में शामिल किया जा सकता है।

२. **उम्र की पात्रता :** योजना के अंतर्गत १० वर्ष तक की लडकी का अकाउंट खोला जा सकता है।

३. **अकाउंट किसके नाम से** : सुकन्या समृद्धि योजना में लड़की के नाम से ही अकाउंट खुलेगा। अभिभावक (जमाकर्ता) ही नाबालिग लड़की की तरफ से अकाउंट में पैसा जमा करेगा।

४. **एक लड़की एक अकाउंट** : एक लड़की के नाम से सिर्फ एक ही अकाउंट खोला जा सकता है।

विस्तृत जानकारी :

१. अकाउंट कम से कम एक हजार रु. से खोला जा सकता है।

२. अकाउंट ट्रान्सफर हो सकता है : लड़की के एक शहर से दूसरे शहर जाने पर इसे मूल स्थान से भारत के किसी भी शहर में ट्रांसफर किया जा सकता है।

३. कितने रु. जमा कर सकते हैं : हर साल कम से कम एक हजार रु. खाते में जमा होना चाहिए। अधिकतम १,५०,००० रु. तक जमा किए जा सकते हैं। एक वित्तीय वर्ष में कितनी ही बार पैसे जमा किए जा सकते हैं।

४. अर्थ दंड : यदि खाते में हर साल १ हजार रु. जमा नहीं कराए गए तो ५० रु. का अर्थ दंड लगेगा।

५. कितना ब्याज लगेगा : इस योजना में १ अप्रैल २०१६ से लागू ब्याज की दर ८.४ प्रतिशत प्रति वर्ष है। ब्याज की गणना सालाना होगी।

६. अवधि : अभिभावक इस खाते में खाता खुलने के दिनांक से अगले १४ वर्ष पूरे होने तक पैसे जमा करवा सकते हैं। उसके बाद अकाउंट परिपक्व होने तक कोई राशि जमा कराने की जरूरत नहीं है।

७. १८ वर्ष की आयु के बाद आवश्यकता होने पर जमा राशि की ५० फीसदी रकम निकाली जा सकती है।

८. आयकर छूट : आयकर अधिनियम की धारा ८०सी के अंतर्गत जमा की गई राशि रकम पर छूट भी मिलेगी।

९. योजना से सम्बन्धित अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री न. १८०० २२३ ०६० पर संपर्क कर सकते हैं।

१०. योजना के अंत में प्राप्त धनराशि (ब्याज सहित) आयकर से मुक्त रहेगी।

११. खाता बंद करना : लड़की की आयु २१ वर्ष होने पर ही खाता बंद किया जा सकता है। परन्तु इसके बाद भी खाता जारी रखा जा सकता है और उस पर ब्याज भी मिलता रहेगा।